Uncorrected/Not for Publication-13.03.2015

SSS-MCM/2U/4.00

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (CONTD.): That is the story which we have studied. This shows that the third gender is accepted as the chief of the kingdom. This is the story which talks about bravery of third gender. Similarly, they have got every capacity to do something in the world. Therefore, we have to treat them as human beings, whether they are working for the development of the society or whether they have to be brought into the mainstream as part of the human activities or whether we are giving equal justice in each and every aspect. Now we are citing very boldly the incident of winning of the first Mayor named Madhu Bai Kinnar. She was dancing and singing in the train but, finally people accepted her as the Mayor of a city. These are historical incidents happening in India and the judgment which was pronounced by the Supreme Court has to be taken into consideration by the hon. Minister and the Government. The judgment is having 113 pages. Justice Ramakrishna has given a clear judgment. I will just read one paragraph alone. He has cited all the incidents of what is happening throughout the world in this particular issue and he finally comes to the conclusion that you have to

come forward. It is a two-judge Bench judgment. They give concurrent judgments and say that domestic legislations should also come forward to protect these people. I will just read how they look at the issue in Article 14 under transgender. I will quote paragraph 54. Article 14 of the Constitution of India states that "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India." Equality includes full and equal enjoyment of all rights and freedom. Right to equality has been declared as the basic feature of the Constitution, treatment of equals as unequals or unequals as equals will be violative of the basic structure of the Constitution. In that way, it has got a lot of justification. And, finally, the judgment says that the State has got certain obligations to come forward with legislation. This work is done by our hon. Member, Shri Siva, here. Beyond all political things, I have to say that in many of the social aspects, Tamil Nadu is the pioneer, and more so, we feel that the present Government and also the earlier Government from 2006 itself, Dr. Kalaignar has recognized this particular gender as the third gender. In Tamil, they call it as *Thirunangai*. That was the word coined by him and they were given all

the facilities and a Board was also constituted. I hope this was the inspiration on which Shri Siva has brought this Bill also and subsequently the present Government is giving a lot of incentives for this purpose. One of our friends was citing the word, 'gay'. We should not confuse ourselves with transgender and gay. Transgender is a recognition of a particular type of people who have not committed any sin, who have not committed any violation of the civilized system. It is only a change in the autonomy. When they were born, they were having certain type of anatomy. That is the only thing. They could not procreate. They cannot bring forth children. They cannot be the cause of bringing children. That is the only difference. But there are many other incidents also happening that by proper surgery, procedurally they can also bring forth children. Therefore, this incident is coming up. Science is motivated now. Therefore, we feel that gay is totally a new method of having single sex, to live together.

(Contd. by NBR/2W)

-SSS/NBR-KLG/2W/4.05.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (CONTD.): We cannot fully accept it. There may be a controversy in that discussion. I feel that

we should not mix both the things. This is purely a matter which civilization has accepted as a third gender. But, in the 19th and 20th Centuries we neglected that cultural aspect. We, the Indians, have protected the third gender. Now, we have to rehabilitate them. How to rehabilitate them? How to protect their rights? How to bring them into the mainstream? How to make them potential persons for the development of society and nation? How they should sit besides us, equally, without any mockery or stigma are the issues which are important and the Bill has drafted keeping all these things in mind. I feel this Bill will give them life by way of statutory support. It is not grace that we giving them. It is not that we are doing any charity, but all we are doing is recognizing a right which is given to them for centuries by our Indian society, our Indian civilization which has to be protected by way of domestic law.

Thank you very much.

(Ends)

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (KARNATAKA): Thank you Vice-Chairman, Sir. I must congratulate Tiruchi Siva for introducing this Bill. It has a very inclusive definition of transgender persons, covers a

broad spectrum and an excellent definition of discrimination which includes provisions for reasonable accommodation.

Sir, many of the speakers who have spoken before me have already talked about how ancient Indian culture has always been very inclusive when it comes to accommodating and understanding the needs and rights of transgender. We have talked about *Shikandi*, we have talked about *Brihannala* and we have also talked about *Mohini*. Sir, my own House God is Bellur Chennakeshava, who is Lord Krishna dressed in woman's cloths. So, there is always been a certain tolerance and willingness to be inclusive in our ancient culture. That spirit must be incorporated the way we run our country today. Sir, that has not necessarily happened historically in the last few decades or even today and we must do much more.

Here, I would like to point out that the Government of India has to respond to a historic judgment of the Supreme Court in the National Legal Services Authority Case. In this context, the Government has only filed a clarification petition. This is delaying the resolution of this legal process. That way, it does not provide for speedy justice to this vulnerable stigmatized minority.

Sir, while Tiruchi Siva has done an extraordinary job in drafting this Bill, I do think that it needs certain changes to bring it in compliance with the principles enunciated in the NALSA judgment, in the Report of the Ministry of Social Justice and Empowerment's Expert Committee on issues relating to transgender persons and also the Verma Committee Report on amendments to the Criminal Law relating to sexual violence.

Let me just enumerate these as quickly as I can. First is recognition of legal identity. The guiding principle of NALSA judgment is legal recognition of gender identity -- male, female or third gender -- based on self-identification amongst people. For this, there is a legal procedure that has been proposed which includes report which involves the District Screening Committee and a Self-declared Affidavit.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR)

Sir, I recommend that this Bill provide a separate section to affirmatively recognize the right to legal recognition along with providing procedure for the same.

Sir, Tiruchi Sivaji has used the term 'transgender children.' Sir, I feel, it is a tricky term, because children, until they become adolescents, are not necessarily fully aware of their identity and, therefore, it is better to use a term that could be called 'gender non-conforming children', along with the term 'transgender children.' And, I recommend that children should be brought under the purview of this Bill who are not only seen to be non-conforming but are also perceived to be individuals who are non-conforming by others. This is a very tricky matter. So, I would suggest that the Bill include the term 'transgender children', 'gender non-conforming children' 'children perceived to be transgender' or 'gender non-conforming.' It seems a little complicated. But, that is more appropriate for children.

(CONTD. BY KGG/2X)

-NBR-KGG/2X/4.10

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Contd.): I would also urge Shri Tiruchi Siva to expand the education chapter to provide for inclusive education and adult education programmes. He already has done that. But the basic challenge faced by transgender children is harassment, discrimination and bullying. That is something we need to

change by sensiting teachers, by sensiting students. Already, we have laws against ragging. But this is something that makes a real challenge for most vulnerable minorities. For this group, we should not only have the establishment of anti-ragging, anti-bullying, anti-harassment cells and anti-discrimination cells, but this should also be sensitized in education right from early childhood to later years, and should also be sensitized and incorporated in teachers' training as well.

Sir, I have one disagreement with the Bill. Sivaji suggests that we should have a separate, exclusive transgender rights court. I think, it is more important for the mainstream legal system to be sensitive, to incorporate matters associated with transgender persons and to deal with in the same manner as anybody else would be dealt with. So, in that existing framework...

AN HON. MEMBER: He has put that.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Has he put that? Very good then.

In terms of freedom of speech and expression of transgender community, this is again an interesting issue. On the freedom of speech under Article 19, this Bill also recognizes the right for the

transgender community. But there are certain crucial components that were elaborated in the Supreme Court's NALSA judgment. The Court read the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(A) to include the right to expression of one's self-identified gender. The self-identified gender can be expressed through dress, words, action or behavior or any other form. A transgender's personality, the Court notes, could be expressed by the individual's behavior and presentation. The State can't prohibit, restrict or interfere with the transgender's expression of such personality subject to restrictions into the purview of the law.. (Time-bell)

I need two more minutes, Sir. I am finishing, don't worry. It is an important issue. Sir, going beyond the Bill, there are two major issues. One is providing adequate protection against sexual violence. Under Section 375, we don't take into account sexual violence against the transgender community. I recommend that Section 375 of the IPC be amended to make it gender neutral with respect to the victim as recommended by the Justice Verma Commission. This should ensure that even if the assaulter is male, the victim of any gender should fall under the purview of this Bill. Then, most importantly, Sir, we need to

repeal Section 377 of the IPC. I think, the Minister of Social Justice and Empowerment could bring a path-breaking figure if he goes ahead and pushes for the repeal of this very, very regressive Section of the IPC. In the Naz Foundation judgment, we know that Section 377 continues to have a deleterious impact on the lesbian, gay, bisexual and transgender persons. This must be repealed as quickly as possible.

Sir, once that is done, we will see that Section 377 will not be used as a tool of abuse against transgender persons. If we can get rid of this particular clause, we will be doing justice to not just transgenders, but also to numerous people whose choice of sexual preference is different from the mainstream.

Sir, the Union of India has a grave constitutional responsibility in this regard. It is up to the current Government. As the Minister has seen today across party-lines, we have the support for this, this is an example of law that can be brought in because it has the support of everyone. Every one of us agrees that if we want to achieve the glorious goals of the Preamble of our Constitution, to ensure equality of status and opportunity, to ensure social justice, economic justice

and political justice, we can't let the rights of transgenders be transgressed in any way. I urge upon the Minister to take forward the extraordinary work done by Shri Tiruchi Siva and to turn this Bill into an official Act. Thank you very much.

(Ends)

(Contd. By 2y/ MP)

MP-DC/2Y/4.15

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं श्री तिरुची शिवा के इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के समर्थन में बहुत ही सकारात्मक सुझाव रखे हैं, मैं उनके साथ स्वयं को सम्बद्ध करते हुए, एक-दो महत्वपूर्ण बातें कह कर, समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। चूंकि बिल में विपरीतलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की बात को उभारा गया है, नॉर्थ इंडिया में खास तौर से इस समुदाय को लोग "हिजड़े" या "किन्नर" के नाम से पुकारते हैं, तो मैं उसी नाम का सम्बोधन करूंगा, ताकि वे लोग समझ सकें कि किसकी बात कौन कर रहा है? हमारे देश की बहुत सारी अच्छाइयां ऐसी हैं, जिनको पूरी दुनिया में सराहा जाता है। हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की सभ्यता को, हमारे देश की डेमोक्रेसी को, हमारे देश में रहने वाले तमाम धर्म-मज़हब के लोगों की एकता को, यूनिटी को, दुनिया के लोग भारत की व्यवस्था को, भारत की सभ्यता को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। हमारे देश की एक विशेष काबिलियत के रूप में इसे दुनिया के अंदर देखा जाता है, लेकिन भारतीय समाज के ताने-बाने पर जब कभी गंभीरता से चिंतन-मनन करने का अवसर मिलता है तो बहुत सारी कमियां ऐसी निकल आती हैं, जिनको देखकर कई बार तकलीफ भी होती है और दुख भी होता है। हमारा देश एक है, समाज एक है, हम सब लोग एक हैं, लेकिन एक समूह, एक वर्ग जो पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उसके परिवार

के लोग अगर यह समझें कि यह किन्नर है, यह हिजड़ा है, तो उसकी बिना बैंड-बाजे के घर से विदाई हो जाती है। बेटी को विदा करो तो बारात आएगी, बैंड बजेगा। बेटा पैदा हो जाए, तो भी तमाम खुशियां, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन जिस घर में किन्नर या हिजड़ा पैदा हो जाए, तो उस घर के लोग ही उससे मुंह फेर लेते हैं कि समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे घर में कौन पैदा हुआ है?

उपसभापति महोदय, इस सामाजिक भेदभाव, सामाजिक असमानता, सामाजिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिए श्री तिरुची शिवा ने एक कानून की शक्ल में एक प्राइवेट मेम्बर बिल के तौर पर इस सदन में अपनी बात उपस्थित की है, लेकिन भारत की संसद की कुछ इस तरह की परंपरा रही है कि प्राइवेट मेम्बर बिल को रस्म अदायगी का एक ज़रिया मानकर भाषण हो जाता है, मंत्री जी का जवाब आ जाता है, अनुरोध हो जाता है कि वापस ले लीजिए, हम विचार करेंगे और बात समाप्त हो जाती है।

उपसभापति महोदय, क्षमा करेंगे, मुझे बारह वर्ष उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् में बैठने का मौका मिला और उस परिषद् के सभापति जी के अधिकारों, उनके दायित्वों और उनके कर्तव्यों को जानने का मौका मिला। पीठ से बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं, सरकार चाहे या न चाहे, लेकिन कोई विधेयक, कोई कानून, कोई बात अगर समाज के हित में है, तो निर्णय करने का पूरा अधिकार पीठ के पास रहता है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, he wanted you to give the direction to the Government.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप : उपसभापति महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम इस विधेयक पर हम रस्म अदायगी से आगे चलें। इस बिल को हम कानून की शक्ल दें। इस बिल को हम कानूनी बिल के रूप में स्वीकार करें ताकि हमारी संसद पर दुनिया का, लोगों का भरोसा बढ़े। यह कोई पहला ऐसा अवसर नहीं है, यह पहला ऐसा विषय नहीं है कि किसी समूह के साथ injustice हुआ है, किसी समूह के साथ भेदभाव हुआ है। महोदय, हमारे देश और देश के तमाम लोग इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि देश को आज़ाद होने के पहले हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में इतनी खामियां थीं ...

(2Z/SC-TDB पर जारी)

sc-tdb/4.20/2z

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (क्रमागत) : इतनी दिक्कतें थीं कि दलितों को, आदिवासियों को, कमजोरों को, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को सामाजिक ताने-बाने में साथ बैठकर चलने का अधिकार नहीं था, साथ बैठकर खाने का अधिकार नहीं था। अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी। एक दलित ने किसी के साथ बैठकर खाना खा लिया तो उसकी नाक काट दी गयी। उसकी नाक इसलिए काट दी गयी कि वह दलित था। भारतीय समाज में अगर ऐसी व्यवस्था कायम रहेगी तो सामाजिक ताना-बाना कहीं न कहीं ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : पुलिस केस नहीं हुआ? I am asking whether a case was filed or not.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप : मैं अपील करूंगा..(व्यवधान).. सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपसभापति जी पूछ रहे हैं कि पुलिस केस हुआ या नहीं हुआ।

श्री उपसभापति : पुलिस केस फाइल हुआ या नहीं? आपने कहा कि नाक काट दी गयी।

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप : सर, केस होने से समाज की प्रतिष्ठा वापस नहीं आ सकती है, समाज का सम्मान वापस नहीं आ सकता है। जो एक विज़न किसी वर्ग के खिलाफ बन जाता है, उस विज़न को खत्म करने के लिए सख्त कानून की जरूरत है..(समय की घंटी).. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय समाज में हिजड़ों और किन्नरों को भी बराबर सामाजिक, राजनैतिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त हों। महोदय, आदरणीय मंत्री जी बहुत सूझवान हैं, बहुत दर्द और तकलीफ वाले उस समूह से हमदर्दी रखते हैं, जिसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। ..(समय की घंटी).. मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को सरकारी विधेयक के तौर पर स्वीकार करके सदन में इतिहास बनाएं कि यह संसद देश के किन्नर और हिजड़ों के लिए भी कानून बनाकर उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकती

है। उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(समाप्त)

श्री उपसभापति : मेरा एक सुझाव है, you mentioned an incident here, आपने जो नैरेट किया, it is very serious. You should ensure that a case is registered, and strong action is taken against the person, who has cut the nose of a Dalit. He should get the punishment. That is what you said. His nose was cut for eating together. That is a very serious thing. If it happened in this country, then, you should take it up. It is not enough that you speak here.

SHRI NARENDRA KUMAR KASHYAP: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should go and enquire into it. If no action is taken, you should take it up very seriously. You can raise that incident even here. It is an atrocity on a *. It is an atrocity on a Schedule Caste.

SHRI AMBETH RAJAN: Sir, * is not the proper word.

***Withdrawn by the Chair.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know; I know. I withdraw that word. I agree, it should be Dalit. So, do that. Take it up. It is not enough that you mentioned it here.

श्री भूपिंदर सिंह : सर, माननीय नरेन्द्र जी ने जो बात कही, वह इतिहास नहीं है। सर, 1972 तक पार्लियामेंट में 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल और रेज़ोल्युशंस पास हुए हैं, यहां पर 9 और लोक सभा में पांच। इतिहास बना हुआ है। 1972 के बाद से हॉल्ट हो गया जब प्राइवेट मेंबर्स रेज़ोल्युशन को देखते हैं..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I said something else.

श्री भूपिंदर सिंह : रुक जाता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे फिर से एक इतिहास शुरू करा दें। आप इतिहास शुरू कराइए, उसमें हॉल्ट आ गया है। इसी हाउस में 1972 तक 9 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स पास हुए हैं।

श्री उपसभापति : श्री विशम्भर प्रसाद निषाद। निषाद जी, आप सिर्फ दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य तिरुची शिवा जी ने जो विपरीतलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 को प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, जितने भी हमारे माननीय सदस्यों ने इसमें अपने विचार रखे हैं, उनसे मैं स्वयं को संबद्ध करता हूं। किन्नर या हिजड़ों के साथ प्रकृति द्वारा अन्याय होता है और

उसके बाद उनके साथ समाज द्वारा अन्याय किया जाता है। शिक्षा से लेकर समाज में रहने का अधिकार उनको नहीं दिया जाता है, इसलिए यह बिल लाया गया है। यह बिल बहुत अच्छा बिल है। हम देखते हैं कि महिला किन्नर भी हैं, पुरुष किन्नर भी हैं जिनके साथ भेदभाव होता है। कई माननीय सदस्यों ने यहां जिक्र किया कि अस्पतालों में पुरुष वार्ड और महिला वार्ड हैं। वहां पर यह समस्या आती है कि किस वार्ड में इन्हें रखा जाए। इसी तरह से शौचालय की बात आयी और जेल में भी दो ही वार्ड होते हैं - एक पुरुष वार्ड और एक महिला वार्ड। वहां पर उनको अलग से, तनहाई में रखा जाता है। यह समस्या है। महोदय, बताया गया कि उनकी संख्या 4.9 लाख है, निर्वाचन आयोग ने कहा 23,841 हैं।

(3ए-जीएस पर जारी)

<u>KLS-GS/3A/4.25</u>

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत): उपसभापति महोदय, शादी-विवाह और बच्चों के पैदा होने के समय होने वाले उत्सव में आशीर्वाद देने और गाने-बजाने के लिए ये आते हैं। ये रेड लाइट पर भी मिल जाते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा और सुना है कि वे हमेशा ताली बजाते रहते हैं। ताली बजाना एक थेरेपी है और यह एक्युपंचर की तरह है। इनको मैंने किसी अस्पताल में नहीं देखा है, आप लोगों ने अगर इनको देखा हो, तो मैं नहीं जानता हूं। ताली बजाने से वे कभी बीमार नहीं

होते हैं। यह समाज के लिए एक संदेश भी है। कोई कीर्तन-भजन करते समय ताली बजाता है, तो उससे भी लाभ होता है।

उपसभापति महोदय, हम बताना चाहेंगे कि हमारी एक केन्द्रीय मंत्री हैं, जो पशुओं के संरक्षण के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ती हैं। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और हम इनसे निवेदन करना चाहेंगे कि जब पशुओं के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो क्या इन्सान के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है? ये तो इंसान हैं। हम आपसे विनती करना चाहते हैं, आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस विषय पर हमारे माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं, आप उन पर गंभीरता से विचार करें।

उपसभापति महोदय, बहुत सी और भी दिक्कतें हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले से आदिवासी और दलितों के साथ भेदभाव किया जाता रहा है, इस बारे में हमारे नरेन्द्र कुमार कश्यप जी ने भी बताया है। उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। जो पुरोहित लोग थे, कोई बच्चा पैदा होता था और उनसे उन बच्चों के नाम पूछने के लिए जाते थे, अगर वह शैड्यूल्ड कास्ट का है, बैकवर्ड का है, आदिवासी का है, तो पुरोहित लोग कहते थे कि इसका नाम लुच्चा रख दो, इसका नाम लफंगा रख दो, इसका नाम खचेडू रख दो, चैतवा, बैसखवा, जेठवा रख दो, यह जेठ में पैदा हुआ है तो जेठवा रख दो। जब बच्चा स्कूल में जाता था और हाज़िरी लगती थी और जब मास्टर खचेडू, लुच्चा, लफंगा कहता था, तब सारी कक्षा के बच्चे हंसते थे

इसलिए वह एक-दो महीने में ही कक्षा छोड़कर चला जाता था। उसी तरह से आज किन्नरों के साथ हो रहा है। हमें महाभारत का भी एक उदाहरण याद है जब वीर एकलव्य शिक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास गया, क्योंकि वह शूद्र था, इसलिए उसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया कि तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखाई जा सकती। ...(समय की घंटी)...उपसभापति महोदय, जब इनके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी न्यायालय कह रहे हैं कि इनके साथ भेदभाव बंद किया जाना चाहिए। ...(समय की घंटी)... हमारे तिरुची शिवा जी जो बिल लाए हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।...(समय की घंटी)... मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस बिल से पूरा सदन सहमत है इसलिए आप इस बारे में एक सरकारी बिल लाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं तिरुची शिवा जी की बहुत आभारी हूं कि वे इस बिल को लेकर आए हैं। इस बिल में जो इनकी भावना है वह बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि चाहे हम इन्हें हिजड़ा कहें, चाहे किन्नर कहें, चाहे transgender कहें, इनका जो trauma है, इनका ही नहीं, इनके मां-बाप का जो trauma है, वह भी एक सोचने वाली बात है। जब मां-बाप को पता लगता है कि हमारा बच्चा हिजड़ा है या transgender है और जब उस बच्चे को उस कम्युनिटी वाले लेने के लिए आते हैं, उस समय जो उनका हाल होता है, वह एक देखने की बात होती है। किस तरह से मां अपने

बच्चे को अलग करने के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए मैं यह कहूंगी कि माननीय सदस्य जो बिल लाए हैं, वह बहुत ठीक बिल लाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि आप इस बिल का समर्थन कीजिए। इस बिल में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेशल व्यवस्था कीजिए, उनको स्पेशल स्कूल दीजिए जिससे कि वे पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उनको घर-घर जाकर नाचना या गाना न पड़े। यह कोई उनका कसूर नहीं है, यह बायलॉजीकल सबसे बड़ी घटना है, जिसके कारण वे मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर गंभीरता से सोचा जाए और उनको मेनस्ट्रीम में लाया जाए। यह मां-बाप का भी trauma है, उनका भी दुख है। मैं जानती हूं कि किस तरह से एक मां अपने बच्चे को अपने से अलग करती है।

(ASC/3B पर जारी)

ASC-USY/4.30/3B

श्रीमती विप्लव ठाकुर (क्रमागत) : उसके लिए तो वह बच्चा ही है, चाहे वह transgender है या कोई अन्य है। पहले राजा-महाराजाओं के यहां महिलाओं के महल में इनको रखा जाता था कि एक तरह से ये spying का काम करेंगे, इनसे कोई harm नहीं है। जहां आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहां हमें इनके सशक्तिकरण की बात भी करनी चाहिए। ये भी हमारे समाज का एक अंग हैं। मैं तिरुचि शिवा जी को बधाई देती हूं कि वे यह बिल लाए और मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करती हूं कि जिस तरह से इस बिल पर सभी ने कहा है, प्राइवेट

मेम्बर बिल देकर वापस मत लीजिए और इसको सरकारी दस्तावेज बनाइए और इस पर बहुत गंभीरता से सोचिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो श्री तिरुची शिवा जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने कठिन परिश्रम करके एक अच्छा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। यह विधेयक निश्चित रूप से विचारणीय है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में आजादी के बाद डॉ. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, उसमें एक नहीं अनेक अनुच्छेदों में इस बात का उल्लेख गया है कि देश का प्रत्येक नागरिक, जो सुविधाएं भारत सरकार की हैं, उनका उपयोग करने के लिए, सुअवसर प्राप्त करने का पात्र है। बिना जाति, बिना लिंग और बिना किसी भेदभाव के उन सब योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। आज हम सदन में किन्नर, विपरीत-लिंग के व्यक्तियों के लिए अधिकार के विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इसको Ttransgender नाम दिया है, यह भी हमारे देश के मानव संसाधन का अभिन्न अंग है। देश का अभिन्न अंग होने के नाते, वे समस्त प्रावधान, जो भारत के संविधान में हैं और भारत के कानूनों में हैं तथा राज्यों के कानूनों में हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ये अधिकृत हैं। श्री तिरुची शिवा ने विधेयक प्रस्तुत किया है, इस पर श्री बसावाराज पाटिल, श्री हरिवंश, विवेक गुप्ता जी , आदरणीय नवनीत जी, श्री बैष्णव परिडा, श्री पी राजीव जी,

श्री डी.पी. त्रिपाठी जी, श्री एम.एस. गिल साहब,श्री मनसुख एल. मांडविया, चौधरी मुनव्वर सलीम, श्री एम.पी. अच्युतन, सुश्री अनु आगा, श्री आनंद भास्कर रापोलू, डा. के. केशव राव, डा. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन, प्रो. एम.वी. राजीव गौडा, श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद और अंत में आदरणीय श्रीमती विप्लव ठाकुर ने अपने विचार रखे हैं। मैं सामान्यतः इस विधेयक की भावनाओं का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में जिन-जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उनसे संबंधित मुद्दों की जानकारी अपने-अपने सम्बोधन में दी है। विधेयक को अध्याय 2 किन्नर जाति को, transgender अधिकार और उनकी हकदारियां देने की बात करता है। इसमें यह कहा गया है कि समता और गैर-विभेद का वातावरण बनाना चाहिए। सही बात है, इसका संविधान में भी उल्लेख है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए।

(3C/AKG पर जारी)

AKG-PK/3C/4.35

श्री थावर चन्द गहलोत (क्रमागत) : विपरीतलिंगी बच्चों को भी यह अधिकार मिले। जो सुविधाएँ भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से मिलती हैं, उनका उपभोग करने या उनका लाभ लेने की पात्रता भी उनको होनी चाहिए। उनको जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। मैंने बताया कि ये सब संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में हैं। उनको समुदाय में रहने

का अधिकार मिलना चाहिए, सम्पूर्णता का अधिकार मिलना चाहिए। यातना अथवा निर्दयतापूर्ण, अमानवीय अथवा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार अथवा दंड से उनको संरक्षण मिलना चाहिए। दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण का जो वातावरण है, उससे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। घर और परिवार का अधिकार मिलना चाहिए। वाक् स्वातंत्र्य की सुविधा मिलनी चाहिए। अध्याय 3 में शिक्षा के जो अधिकार हैं, उन शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को भी उन्हें प्राप्त करने का हक है, वे भी उनको मिलने चाहिए। ...(व्यवधान)... आदरणीय भूपिंदर जी, मैंने दो घंटे सुना, आप भी 15-20 मिनट तो सुन लीजिए। सुनिए तो सही। कौशल विकास एवं रोजगार की बात भी कही गई है। निश्चित रूप से यह उनका भी अधिकार है कि उनको भी रोजगार मिले और वे स्वावलंबन की स्थिति में आकर अपने आस-पड़ोस वाले लोगों की तरह अपना जीवनयापन, रहन-सहन का स्तर बना सकें। व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार की पात्रता उनको है। रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ होनी चाहिए। उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। विपरीतलिंगी व्यक्तियों का पुनर्वास सामान्य श्रेणी के लोगों की भाँति हो, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको विलास संस्कृति और आमोद-प्रमोद की भी पात्रता है, यह उनका हक है, वह भी मिलना चाहिए। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में उनके आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान की बात कही गई है। विपरीतलिंगी व्यक्तियों के लिए पदों के

आरक्षण की बात कही गई है। निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इनके लिए अलग से विशेष रोजगार कार्यालय हो, इस प्रकार की व्यवस्था की भी बात है। इन सब समस्याओं के समाधान की दृष्टि से सरकार के कर्तव्य और जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उन्होंने कहा कि इन सब समस्याओं के समाधान के लिए जागरूकता लाने का भी प्रयास करना चाहिए। फिर विपरीतलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात कही गई है। उसी प्रकार के आयोग राज्यों में भी होने चाहिए, इस प्रकार की बात भी कही गई है। निश्चित रूप से न्यायालय की सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए। इसमें जो बातें कही गई हैं, वे आज वास्तव में व्यवहार में दिखाई देती हैं और इससे मुक्ति दिलाने की महती आवश्यकता है। जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है, वास्तव में इस विधेयक का महत्व और भी बढ़ जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस दिशा में एक निर्णय दिया है और उस निर्णय के बाद भारत सरकार ने, अर्थात् मेरे मंत्रालय ने, चूँकि मेरा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में कुछ कदम उठाए हैं। मैं आपके सामने सभी माननीय सदस्यों को इससे अवगत कराना चाहूँगा। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई। उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया है। उसने जो प्रतिवेदन दिया है, सामान्यतया प्रतिवेदन

में जो सुझाव आए हैं, उन सुझावों का ज्यादातर समावेश इस विधेयक में है। इसलिए मैं सब पर अलग-अलग कुछ बातें बताऊँ, इसकी आवश्यकता नहीं है।

(3डी/एससीएच पर जारी)

SCH-PB/4.40/3D

श्री थावर चन्द गहलोत (क्रमागत) : इसके साथ ही साथ हमने कार्य योजना बनाने के लिए अंतर-मंत्रालय की एक समिति भी बनाई है और उसकी अभी तक लगभग 4 बैठकें भी हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में तेज गति से विचार-विमर्श जारी है। हमने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाला है कि इसके लिए एक अम्ब्रेला स्कीम बननी चाहिए। वह स्कीम बनाने की दृष्टि से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं हमारे मंत्रालय के बीच अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श जारी है। हमने एक निर्णय भी लिया है कि इस सम्बन्ध में हम एक राष्ट्रीय नीति बनाएंगे, इसके मुद्दों पर भी विचार-विमर्श चल रहा है।

महोदय, हमने यह भी तय किया है कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को सुविधाएं दी जाती हैं, वैसी ही सुविधाएं ट्रांसजेंडर समुदाय को भी दी जानी चाहिए। इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक 'ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड' बनाने का भी विचार किया है। उस 'ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड' के क्या-क्या काम होंगे, क्या-क्या अधिकार होंगे, इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमने राज्यों को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में अमल करने के लिए

अनुरोध किया है। हमको अनेक राज्यों से इसकी जानकारी भी मिली है, कई राज्यों ने तो उस पर काम भी प्रारम्भ कर दिया है। जिस प्रकार से योजना आयोग ने इस विषय पर राय दी थी, उसी प्रकार नीति आयोग भी इस पर उसी तारतम्य के आधार पर विचार-विमर्श करेगा। इस सम्बन्ध में हम इनके अधिकारों के हित संरक्षण की कार्य योजना बनाने का काम भी करेंगे।

इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहूंगा, जब हमने भिन्न-भिन्न राज्यों और भिन्न-भिन्न मंत्रालयों को इस विषय पर लिखा, इस पर उन्होंने जो-जो कार्यवाही की, उससे भी मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा। वैसे प्रारम्भिक तौर पर हमने यह तय किया है, जैसा मैंने बताया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को 'तृतीय लिंगी' के रूप में माना जाए, यह माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है, इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारों को उनकी बेहतरी के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं तैयार करने हेतु उपाय करने चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों को अस्पतालों में ट्रांसजेंडर्स को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए और इनके प्रति सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये सब बिन्दु हमने राज्यों के साथ चर्चा करके उठाए, जिसके लिए हमने उनको पत्र भी लिखा और हमारे अधिकारियों ने उनके साथ बातचीत भी की।

मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने और अगर वे उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, तो उनकी फीस जमा करने, आर्थिक सहायता देने आदि का निर्णय भी लिया है।

महोदय, हमने भारत सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालयों को जो पत्र लिखा था, उसके उत्तर में उनकी ओर से हमारे पास जो जवाब आए हैं, मैं आपको उसकी जानकारी भी देना चाहूंगा। हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा था, उनकी तरफ से जवाब आया है कि आवासीय जरूरतों को पूरा करने वाली इन्दिरा आवास योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों को चयन में वरीयता देने के लिए शामिल किया गया है। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में वर्ष 2012-13 के दौरान आईएवाई के तहत 25 आवास ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवंटित किए गए हैं। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों ने इस दिशा में कारगर कदम उठाए हैं, उनमें सबसे अच्छा काम तमिलनाडु की सरकार ने किया है। बाकी राज्यों ने भी इस सम्बन्ध में जो-जो कार्य किया है, वह भी मैं बताना चाहूंगा। हमने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध किया था, उन्होंने ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करने के लिए किशोर न्याय नियमावली, 2007 में संशोधन करने पर विचार प्रारम्भ कर दिया है, साथ ही वैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जिनकी पहचान महिला के रूप में है, को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा कार्यस्थल पर यौन शोषण (निवारण, निषेध तथा निपटान) अधिनियम,

2013 के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाना स्वीकार कर लिया है। वे इस दिशा में कार्यवाही भी कर रहे हैं।

(3e/psv पर जारी)

-SCH/PSV-SKC/3E/4.45

श्री थावर चन्द गहलोत (क्रमागत): महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंटर-सेक्स डिसऑर्डर पर एक समिति का गठन किया है तथा यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित मामलों की जाँच कर रही है।

मैंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी लिखा। उसने इस पर एक निर्णय लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शैक्षिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रवेश देने के लिए आदेश जारी किये हैं। 'बालक' की परिभाषा के तहत ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में संशोधन पर उन्होंने विचार प्रारम्भ कर दिया है। मंत्रालय समस्त देश में 1090 केन्द्रीय विद्यालयों तथा 581 नवोदय विद्यालयों के संचालन के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। उनको अपनी प्रवेश नीति में ट्रांसजेंडर बच्चों पर विचार करने की भी सलाह दी गई है।

सर, इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय द्वारा यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा विधियों के अंतर्गत ट्रांसजेंडर के समावेशन हेतु आईपीसी की

कतिपय धाराओं, जिनका उल्लेख माननीय राजीव गौडा जी ने भी किया था तथा अन्य माननीय सदस्यों ने भी किया, धारा 317, 166क, 375 इत्यादि में व्यापक संशोधन करने पर भी विचार प्रारम्भ कर लिया गया है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने अपने प्रतिवेदनों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित आंकड़े भी शामिल किये हैं।

सर, श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से भी जवाब आया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पहल (एसडीआई) योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। यह विभाग में विचाराधीन है। वे इस पर आगे कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्बन्ध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित कर दिया गया है। शब्द 'जेंडर' को आवेदन पत्रों, प्रतिवेदनों इत्यादि जैसे विभिन्न दस्तावेजों में पुरुष और महिला के अतिरिक्त ट्रांसजेंडर समाविष्ट करते हुए समाविष्ट कर लिया गया है। अर्थात् इनकी पहचान अलग से करने की व्यवस्था भी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के विस्तार पर विचार किया जा रहा है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए असंगठित कार्यकर्ताओं के संबंध में भी प्रावधान की व्यवस्था की जा रही है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भी कार्य स्थल पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्पीड़न के संबंध में सीसीएस (सीसीए) आचरण नियमावली में संशोधन करने

पर विचार किया है। सूचित किया गया है कि सरकारी नियुक्तियों के लिए रोजगार के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (हूपा) को भी हमने लिखा था। उसने भी हमें जानकारी दी है और कहा है कि लाभार्थियों के रूप में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटकों के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कवर करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सलाह जारी की गयी है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सभी मीडिया एकक, यथा पीआईवी, डीएफपी, एसएनडीडी, एआईआर और डीडी के अपने कार्यक्रमों में इनके हित संरक्षण की योजनाओं के बारे में व्यापक प्रचार करें।

हमने विदेश मंत्रालय से भी आग्रह किया था कि पासपोर्ट देने की जो इनकी कठिनाई है, उसको भी हल करने का वह प्रयास करे। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने से संबंधित नियमों में उपयुक्त संशोधन पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया है। उम्मीद है कि वे इस समस्या का समाधान करने में सफलता प्राप्त कर पायेंगे।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों पर नियोक्ताओं और कर्मचारियों को शिक्षित करने और कर्मचारियों को लगाने, बनाये रखने, पदोन्नति इत्यादि के प्रति बिना किसी भेदभाव की नीतियों के लिए विभाग से संबंधित औद्योगिक संगठनों के साथ कार्रवाई की है।

(3एफ/वीएनके पर जारी)

-PSV/VNK-HK/3F/4.50

श्री थावर चन्द गहलोत (क्रमागत): अपने फॉर्म प्रपत्रों में ट्रांसजेंडर श्रेणी शामिल करने की बात उन्होंने स्वीकार कर ली है, मतलब यहां भी उन्होंने उनकी अलग से पहचान करने के लिए नियम बनाने का निर्णय कर लिया है। विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत राज्यों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, we have to finish this Bill today. ...(Interruptions)...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, बहुत कुछ बातें आई हैं, तो कम से कम 5-7 मिनट तो और लगेंगे। आप कहेंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to conclude this Bill. ...(Interruptions)... Already it has taken more than three hours. ...(Interruptions)... The decision is that the Bill should be disposed of in two hours. Now it has taken three hours.

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, मैं 5-7 मिनट लूंगा। अगर आप कहेंगे, तो मैं अभी बैठ जाऊंगा।

श्री उपसभापति: इनका reply भी होना है।

श्री थावर चन्द गहलोतः सर, इस संबंध में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। सिक्किम राज्य की सरकार ने भी इस विषय पर अच्छा काम करना प्रारंभ किया है। छात्रवृत्ति आदि की जो सब सुविधाएं अन्य नागरिकों को मिलती हैं, वे हैं।

पश्चिमी बंगाल ने भी अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन किया है और इनकी समस्याओं को हल करना प्रारंभ किया है।

केरल सरकार ने भी किया है। हरियाणा सरकार ने भी किया है। ओडिशा सरकार ने भी किया है। दिल्ली सरकार ने भी किया है। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने भी इस पर कार्य योजना प्रारंभ की है। मैंने बताया कि तमिलनाडु की सरकार ने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, जिनका उल्लेख नवनीतकृष्णन जी ने भी किया है और मैं भी कर रहा हूँ।

महोदय, इसके साथ ही साथ मैं तिरुची शिवा जी से और माननीय उन सब सदस्यों से, जिन्होंने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कुछ दिशा-निर्देश दिए, उसमें कुछ बातें ऐसी थीं, जिन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा में हमने जो स्पष्टीकरण चाहा है, वह यह है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी ट्रांसजेंडर और स्त्री सजातीय, समलैंगिक और द्विलैंगिक व्यक्तियों के बीच अस्पष्टता उत्पन्न हो रही थी, वह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि उनको किस श्रेणी में लिया जाए। इसलिए इस मंत्रालय ने उच्चतम

न्यायालय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु याचिका दायर की है।

फिर एक महत्वपूर्ण विषय और आया, वह यह कि जब सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी करने की बात कही गई, तो उसमें एक बात आई, हमसे कुछ प्रतिनिधिमंडल भी मिले, इनकी जो ट्रांसजेंडर एसोसिएशन है, उनकी अखिल भारतीय अध्यक्ष, लक्ष्मी जी भी मिली, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए और उसमें यह बात आई कि अगर कोई जन्म से अनुसूचित जाति का है या जन्म से अनुसूचित जनजाति का है और वह पिछड़ा वर्ग में रहना स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में क्या किया जाए। इस पर मतभेद सामने आए, तो हमने सोचा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ मार्गदर्शन लेना उचित होगा। हमने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है और मैं सोचता हूँ कि जब तक इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण नहीं आए, तब तक इनका identification करने में कठिनाई होगी और जब identification करने में ही कठिनाई होगी, जो अगली कार्य योजनाओं का जो लाभ-हित उनको मिलना चाहिए, उसके बारे में निर्णय करना बहुत कठिन हो जाएगा।

ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय तिरुची शिवा जी से और माननीय अन्य सदस्यों ने, जिन्होंने इस पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय से कुछ मुद्दों पर हमने जो

स्पष्टीकरण मांगा है, वह स्पष्टीकरण आ जाए, फिर राज्य सरकारों ने भी कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया है। हमने अंतर-मंत्रालयी कमेटी बनाई है, वह भी विचार कर रही है और हमने जो विशेषज्ञ की एक कमेटी बनाई है, उसका जो प्रतिवेदन आया है, उस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं। उन अध्ययनों का जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद एक व्यापक विचार-विमर्श करके हम कार्य योजना बनाएंगे। चाहे by laws बना कर इनको हित संरक्षण देने की सुविधा उपलब्ध कराएं या बोर्ड बना कर या जो-जो ये विषय हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो-जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उन सब सुविधाओं को देने की हमारी और हमारी सरकार की मंशा है।

(3जी/डीएस पर जारी)

hk/vnk -- KSK/DS/4.55/3G

श्री थावर चन्द गहलोत (क्रमागत): आप विश्वास करें, हम इनका हित संरक्षण करने की कार्य योजना बनाएँगे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में, इन परिस्थितियों में आप अपने इस विधेयक को वापस ले लेंगे, तो बड़ी कृपा होगी। आप सबसे, माननीय सदस्यों से और सदन से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार इस दिशा में कारगर कार्रवाई कर रही है, विचार-विमर्श कर रही है और निष्कर्ष निकालकर, इनके हित संरक्षण की कार्य योजना बनाकर इनके हितों को कार्यान्वित करने की योजनाएँ लागू करने पर विचार कर

रही है। ऐसी परिस्थिति में आप आज इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I cannot complete within five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If the House wants, we can extend and sit. You can speak up to 5.00 p.m. Then, we will continue this Bill next time. You can continue your reply.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Mr. Siva can speak up to 5 o'clock and then he can continue next time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you can speak Mr. Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Sir, around twenty Members have contributed their valuable suggestions on this Bill. Cutting across party lines, almost all the political parties, which are in this august House, have expressed their views. I am very happy about that. So, there is no difference of opinion, as far as this Bill is concerned. I want to thank all the Members who have deliberated with valuable thoughts and suggestions and have expressed their concerns in favour of the transgender persons. Sir, what induced

me to bring this Bill is the fact that the Supreme Court made its historical judgment in the year 2014. The Ministry of Social Justice and Empowerment constituted an Expert Committee, which gave its Report to the Government. Sir, one year has passed by, but nothing is being done. I don't want to repeat what my other colleagues have said here about the discrimination faced by the transgender persons. Sir, every one of us is aware. But how are they treated? Those who express their concern, not in this House but even outside, when they happen to come across one to one, how they treat them is a very big question. Even when the Minister asked me to withdraw my Bill, he said that the Government is committed and has some plans. Sir, we don't want plans. We want legislation in the right place. But for that, there will not be an end to this discrimination.

First of all, Sir, there is a lack of research data about the transgender people in the country and the transgender people specific healthcare. Many of my colleagues have pointed out many experiences they have come across. While moving the Bill, I quoted some incidents that these people don't have access to public toilets. Our colleagues, I think, Tripathiji, said here--and one other colleague

also mentioned that a transgender person gets a voter ID card saying that she is a female. Only then is the voter ID card given. But when she enters into a ladies' compartment in a train, she is not given an access. She is just thrown out. So, in every place, whether it is hospital, whether it is a public place or a toilet or anywhere else, these people are not accepted. So, when fellow persons in our community, for no fault of theirs, are being treated like that, how could it be? But things are changing now. Only in February, 2015, the first passport has been issued, and the issuance of voter ID cards has been started. I would like to say so many words which we do not recognise, like 'hijras', 'kinnars' and many other words too, and now we have all accepted even legally and even those people have accepted this word 'transgender'. So, these transgender people should be given their legitimate right in this country like any other citizen. That is the only concern we want to express. Sir, in this context, I would like to mention one example. The Minister also quoted the example of one Lakshmi. She is from Mumbai and she is the first transgender person to represent the Asia-Pacific at the United Nations in the year 2008. Her autobiography, 'Me Hijra, Me Lakshmi', that is, 'I am Hijra, I am

Lakshmi', was released at the just-concluded World Book Fair in Delhi. Her book has been published in Marathi and now has been translated into English by the Oxford University Press. So many eminent people are in the transgender community, but they are denied their rights, they are not being recognised. I think, the Minister has said that we will coordinate with the other Ministries.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Siva, you can continue your speech next time when the Private Members' Bills will be taken up. Now, let us take up further discussion on the Budget (Railways). Shri Avinash Rai Khanna; not present. Shri Mansukh L. Mandaviya.

(Followed by 3H – GSP)

Pp 163 onwards will be issued as supplement.